been called for from the applicants is awaited. After receipt of the information the applications will be disposed of according to law.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देने से सम्बन्धित नियम

5306. श्री अमर सिंह चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ऋण दिये जाने से सम्बन्धित नियम क्या हैं;

(ख) आवेदन पत्र प्राप्त होने के कितने दिन बाद किसानों को ऋण दे दिया जाता है; और

(ग) ये आवेदन पत्र किस अधिकारी द्वारा मंजूर किये जाते हैं तथा इस प्रक्रिया में कितने दिन लग जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि-ऋणों के आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, उन पर कार्यवाही करने और ऋणों की स्वीकृति देने के ढंग के संबंध में सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं । भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत जिस ढंग से कृषि-ऋण आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी तथा स्वीकृति दी जाएगी । उसके संबंध में सभी राष्ट्रीय बैंकों ने अपने कर्मचारियों को क्षेत्रीय अनुदेश दे दिये हैं ।

(ख) और (ग). कृषि ऋणों के अधिकांश आवेदन पत्रों का निपटारा शाखा प्रबंधक स्तर पर एक से चार सप्ताह के भीतर किया जाता है । अधिक राशि के मामलों में, जिनमें वरिष्ठ प्रादेशिक अधिकारियों या बैंक के मुख्य कार्यालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, निपटान के लिए दो से चार सप्ताह लगते हैं बशर्ते प्राप्त आवेदन पत्र हर प्रकार से पूर्ण हों ।

Decline in the Export of Sugar, Coffee, Spices, Iron Ore and Manganese

5307. SHRI BHAGIRATH BHANWAR: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the quantity exported of sugar, coffee, spices, Iron ore and manganese ore and to which countries, during 1972;

(b) whether the export of these commodities is showing a decline; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps proposed to improve the situation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* LT-4668/173].

Joint Ventures with Yugoslavia

5308. SHRI BHAGIRATH BHANWAR: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is proposed to embark upon Joint Ventures with Yugoslavia in various fields and if so, the broad outlines thereof;

(b) whether the branches of collaboration have been identified; and

(c) when the joint enterprises are likely to materialise?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) The Government of India and Yugoslavia have in principle agreed that Joint Ventures between the two countries could be established.

(b) and (c) . An attempt is being made to identify the sectors in which there are possibilities of further examination for establishing joint ventures to the mutual advantage of the two countries. Specific collaboration proposals as and when received will